संख्या: 20/2023/ 776/तीस-1-2023

प्रेषक,

एल0वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2023

विषय: कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आकस्मिक बस सेवा के देयको की बकाया धनराशि रू0 348.89 करोड़ के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-780/एफ-10-2020-33(1)22022 दिनांक 19.06.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 237/बकाया/22-250 बकाया/2022 दिनांक 16.11.2022 द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एवं मथुरा वार्डर पर एकत्रित प्रवासी मजदूरो/श्रमिकों,प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कारागार से रिहा किये गये बन्दियों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सेल्टर होम्स प्रवासियों, राजस्थान राज्य के जनपद कोटा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्य मं प्रवास कर रहे उत्तर प्रदेश श्रमिकों/ मजदूरों इत्यादि को उनके गन्तव्य तक पहुचाने में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा दिनांक 28.03.2020 से दिनांक 06.03.2021 के मध्य प्रदान की गयी आकस्मिक बस सेवाओं की देयकों की बकाया धनराशि का भुगतान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को करने की अपेक्षा/मांग की गयी।

2- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के अद्यतन पत्र सं0-130 बकाया/23-250 बकाया/2020 दिनांक 30.06.2023 द्वारा प्रकरण में अवशेष धनराशि रू0 348.89 करोड़ के देयको के सत्यापन की पूर्व में एतदप्रे विषयक गठित समिति द्वारा की गई पुष्टि का उल्लेख करते हुए उक्त अवशेष धनराशि रू0 348.89 करोड़ का भुगतान उ0प्र0 परिवहन निगम को यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

अत: उक्त विषयगत मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि रू0 3,48,89,00,000/-(रूपये तीन अरब अड़तालिस करोड़ नवासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का भुगतान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को आकस्मिक बस सेवाओं की बकाया देयकों के भुगतान हेतु निगम से बकाया देयक का विवरण प्राप्त करते हुए / पुष्टि करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा।यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण -पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदो में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचति किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखा शीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य-व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत एवं राजस्व अनुभाग-10 उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 19/06/2023 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या: 20/2023 /776(1)/तीस-1-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,उ0प्र0शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
7. उप सचिव/नोडल अधिकारी, परिवहन विभाग,उ0प्र0 शासन।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ ।
10. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
11. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
12. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
13. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-10/परिवहन अनुभाग-2 एवं 3 उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।